संख्या-850/2026/1908/22-2-2024-17(619)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 30 जून, 2026

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजय यादव पुत्र श्री सौखी यादव, निवासी जनपद-कुशीनगर की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-दिनांक 16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजय यादव पुत्र श्री सौखी यादव, ग्राम-शिवदत्त छपरा, थाना-खड्डा, जनपद-कुशीनगर का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 17.07.2014 को 08 वर्षीय बच्ची के गुप्तांग में अंगुली डालने की घटना कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी०नं0-294/2014, धारा-376 आई०पी०सी० के अन्तर्गत मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-01/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट, कुशीनगर स्थान पड़रौना के दण्डादेश दिनाक 07.08.2019 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 15.05.2024 तक अपरिहार 09 वर्ष, 09 माह, 27 दिन तथा सपरिहार 11 वर्ष, 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 15.05.2024 तक 37 वर्ष, 08 माह, 05 दिन है।

3- सिद्धदोष बन्दी संजय यादव पुत्र श्री सौखी यादव की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा विचार किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की 37 वर्ष, 08 माह, 05 दिन की आयु एवं बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 15.05.2024 तक अपरिहार 09 वर्ष, 09 माह, 27 दिन तथा सपरिहार 11 वर्ष, 24 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने एवं बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (08 वर्ष बच्ची के गुप्तांग में अंगुली डालने की घटना) तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजय यादव(बन्दी संख्या-281/2022) पुत्र श्री सौखी यादव, निवासी जनपद- कुशीनगर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या- 850/2026/1908(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार वाराणसी।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।